राजस्थान सरकार
Government Of Rajasthan
अधीक्षण अभियन्ता(या.एवं छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग,राजस्थान,उदयपुर
SUPERINTENDING ENGINEER(M&D) MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN, UDAIPUR
दूरभाष /Telephone:0294-2484551, E- mail:-SE.MDUDAIPUR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः–अ.अ.(या.छि.)/उदय/छि.भ./2019--20/646 दिनांकः– 05.07.2019

अनुपयोगी सामग्री की नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता (या.एवं छि.) उदयपुर के अनुपयोगी घोषित सामान की नीलामी निम्न विवरणानुसार रखी गई है जो भी बोलीदाता बोली लगाने के इच्छुक हों वे निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते है ।

क. स.	कार्यालय का नाम	आईटम का विवरण	कुल कीमत (रूपये लाखों में)	धरोहर राशि रूपये	नीलामी दिनांक व समय	नीलामी का स्थान जहां सामान रखा गया है
1	अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक एवं छिद्रण) सेक्टर 13, उदयपुर	अनुपयोगी केसिंग पाईप, ड्रिल रोड्स, कोर बैरल, डायमण्ड बिट्स, बैट्रीज, टायर, ट्यूब, खाली ड्रम, पाईप रिन्च, टेन्ट, छोलदारी, केम्प इक्यूपमेन्ट एवं एसेसरीज इत्यादि ।	62.54032	50000/–	26.08.2019 प्रातः 11.00 ए.एम	छिद्रण भण्डार परिसर, रोडवेज वर्कशाप के सामने सेक्टर–13 उदयपुर ।

नीलामी अलग–अलग लोट्स बनाकर की जावेगी। बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि रूपये 50000/– का बेंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट अधीक्षण अभियन्ता(या.एवं.छि.) उदयपुर के नाम देय संलग्न करना होगा तथा उच्चत्तम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई रकम उसी समय जमा करानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांक को नीलामी नहीं हो पाती है, अथवा नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण नही हो पाती है, तो उसके अगले कार्य दिवस पर नीलामी कार्यवाही जारी रहेगी। नीलामी हेतु सामान को किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है । नीलामी की अन्य शर्तें संबंधित कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय समय में अवलोकनीय है तथा प्राप्त की जा सकती है। ये सभी शर्तें बोलीदाताओं को मान्य होगी। किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा। यह निविदा वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध होगी।

अधीक्षण अभियन्ता(या.एवं छि.)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
उदयपुर, राजस्थान

राजस्थान सरकार

अधीक्षण अभियन्ता(या.एवं छि.),खान एवं भूविज्ञान विभाग,राजस्थान,उदयपुर ।

नीलामी दिनांक 26.08.2019

नीलामी की शर्तेः–

1. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा नीलामी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारीत धरोहर राशि का बेंकर चैक/ड्राफ्ट जमा कराने पर ही बोली में सम्मिलित किया जावेगा,बिना धरोहर राशि के बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी,सफल बोलीदाता यदि एक चौथाई राशि उसी समय जमा करा देता है तो सभी बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी समापन पर लौटाई जा सकेगी अन्यथा सफल बोलीदाता एवं दो उच्च बोलीदाताओं को नीलामी समापन पर राशि नहीं लौटाई जावेगी।
2. सफल बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी इस चौथाई राशि के तत्काल जमा न कराने पर उक्त सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त की जायेगी तथा कमेटी यदि चाहेगी तो निकटतम आगामी अर्थात द्वितीय बोलीदाता की बोली स्वीकार कर उसे चौथाई राशि जमा कराने को निर्देशित करेगी । यदि वह भी चौथाई राशि जमा नहीं करायेगा तो उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर कमेटी तृतीय बोलीदाता की बोली स्वीकार कर उसे चौथाई राशि जमा कराने को निर्देशित करेगी,यदि वह भी चौथाई राशि जमा नही करायेगा तो कमेटी उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर सकेगी,इसके पश्चात् पुनः नीलामी की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. सफल बोलीदाता को नीलामी समापन तिथि से तीन दिन की अवधि में शेष तीन चौथाई राशि (¾) राशि एवं बोली राशि पर देय GST कर जमा कराने के बाद ही नीलामी की सामग्री/वाहन की सुर्पुदगी की जावेगी । तीन दिन की अवधि के पश्चात् रूपये 200/– (दो सौ रूपया) प्रति दिन की दर से ग्रुप भण्डार प्रभार के रूप में जमा कराने होंगे । नीलामी तिथि से 15 दिन की अवधि में सामान न उठाने पर सम्पूर्ण राशि जब्त की जायेगी, तथा सामान पुनः नीलाम किया जावेगा ।
4. GST/ बिक्रीकर व अन्य कर विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अलग से जमा करवाना होगा ।
5. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा एवं उसका निर्णय मान्य होगा ।
6. सभी सामान जैसा है, जहॉ है, हालत में नीलाम किये जायेंगे ।
7. नीलामी के समय किसी भी प्रकार की अशान्ति पैदा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
8. किसी प्रकार के विवाद में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान उपापन नियम 2013 के प्रावधान मान्य होंगे ।
9. नीलामी सामग्री का लोट बनाने, उसमें परिवर्तन करने में नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा ।
10. न्यूनतम बोली को कम/ ज्यादा करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा ।
11. उचित बोली/दर प्राप्त होने पर ही नीलामी छोडी जायेगी । उचित/अन्तिम दर सम्बन्धी अन्तिम निर्णय समिति का मान्य होगा ।
12. यदि उक्त दिनांकों को अपरिहार्य कारणों से नीलामी नहीं हो पाती है तो उसके अगले कार्य दिवस पर नीलामी की जावेगी ।
13. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा ।

अधीक्षण अभियन्ता(या.एवं छि.)
खान एवं भूविज्ञान विभाग
उदयपुर, राजस्थान